भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2880
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए)

2880. **श्री साना सतीश बाबू**
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः
श्रीमती रेखा शर्माः
श्रीमती माया नारोलियाः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के माध्यम से कितने बच्चों का सफलतापूर्वक दत्तक ग्रहण किया गया, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान सुदृढ़ की गई या नव पंजीकृत विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की संख्या कितनी है;
(ग) दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को पूरा करने में लगने वाले औसत समय को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) दत्तक ग्रहण सेवाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच का विस्तार करने के लिए और क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है।

जिला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 36 के साथ पठित जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 58(3) और धारा 61 के अनुसार दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XIV के अनुसार प्रत्येक हितधारक के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) की प्रतीक्षा अवधि, बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पीएपी द्वारा पसंद किए गए आयु समूह से दत्तक ग्रहण करने पर भी निर्भर करती है।

विलंब को कम करने तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 'कारा' ने मिशन वात्सल्य पोर्टल के अंतर्गत दत्तक ग्रहण मॉड्यूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज किया है तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित सभी हितधारकों के साथ नियमित निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ताकि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची XIV में दत्तक ग्रहण से संबंधित काम करने वाले प्राधिकारियों एवं एजेंसियों के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

मंत्रालय केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत हिस्सेदारी के आधार पर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में संस्थागत देखभाल एवं गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत उन विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें छह वर्ष से कम आयु के दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों को आवासीय देखभाल की सुविधा दी जाती है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 (विनियम 3 एवं 5) के साथ पठित जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 65 एवं 66 के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) स्थापित करने की सलाह दी गई है। दिनांक 29.07.2026 तक, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 795 एसएए स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया है। सभी एसएए को एकीकृत केयरिंग्स-मिशन वात्सल्य प्रणाली पर अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे रेफरल, मिलान एवं दस्तावेज तैयार करने सहित दत्तक ग्रहण के

मामलों की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। अनुपालन की निगरानी केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर तत्समय(रियल टाइम) डैशबोर्ड के माध्यम से तथा समय-समय पर समीक्षा बैठकों के जरिए से की जाती है।

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दत्तक ग्रहण एवं पालक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय तौर पर जन पहुंच(आउटरीच) कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 'कारा' भी देश भर में जागरूकता एवं जन पहुंच(आउटरीच) गतिविधियां संचालित की जाती हैं ताकि जागरूकता पैदा की जा सके तथा विधिक दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। इन गतिविधियों में हितधारकों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार एवं विषय परिचायन सत्र शामिल होते हैं। कारा द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि के माध्यम से विधिक दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं बाल दत्तक ग्रहण के महत्व के संबंध में भी नियमित रूप से जागरूकता पैदा की जाती है।

देश में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कारा के माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)' के संबंध में श्री साना सतीश बाबू श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई, श्रीमती रेखा शर्मा, श्रीमती माया नारोलिया और डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2880 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में पिछले वित्तीय वर्ष के 2025-26 के दौरान कारा के माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2025-26**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	11
2	आंध्र प्रदेश	140
3	अरुणाचल प्रदेश	5
4	असम	186
5	बिहार	125
6	चंडीगढ़	18
7	छत्तीसगढ़	114
8	दिल्ली	109
9	गोवा	25
10	गुजरात	547
11	हरियाणा	68
12	हिमाचल प्रदेश	14
13	जम्मू और कश्मीर	42
14	झारखंड	60
15	कर्नाटक	377
16	केरल	170
17	लद्दाख	0
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	221
20	महाराष्ट्र	792
21	मणिपुर	4
22	मेघालय	13
23	मिजोरम	78
24	नागालैंड	13
25	ओडिशा	308
26	पुदुच्चेरी	15

27	पंजाब	49
28	राजस्थान	172
29	सिक्किम	28
30	तमिलनाडु	501
31	तेलंगाना	307
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5
33	त्रिपुरा	7
34	उत्तर प्रदेश	231
35	उत्तराखंड	30
36	पश्चिम बंगाल	237
